मेरठ विकास प्राधिकरण

की

79 वीं बोर्ड बैठक

दिनांक :26 –12 –2007

का

कार्यवृत्त

मेरठ विकास प्राधिकरण की 79वीं बोर्ड बैठक दिनांक 26–12–2007 का कार्यवृत्त।

मेरठ विकास प्राधिकरण की 79वीं बोर्ड बैठक दिनांक 26–12–2007 को कार्यालय, आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ के सभागार में आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ/अध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ की अध्यक्षता में अपरान्ह 3.00 बजे प्रारम्भ हुई। सर्वप्रथम उपाध्यक्ष द्वारा बोर्ड के अध्यक्ष महोदय तथा माननीय सदस्यों का स्वागत किया गया। बैठक में निम्नवत उपस्थिति रहीः–

1.	श्री देवेन्द्र चौधरी	आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ	अध्यक्ष
2.	श्री अनिल कुमार सागर	जिलाधिकारी, मेरठ	सदस्य
3.	श्री बाबू राम	अनुसचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, लखनऊ	सदस्य
4.	श्री डी0 सी0 गुप्ता	प्रतिनिधि, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, लखनऊ	सदस्य
5.	श्री अशोक वर्मा	नगर आयुक्त, मेरठ	सदस्य
6.	श्री राजेश नाथ मिश्र	प्रतिनिधि–आयुक्त, एन0 सी0 आर0	सदस्य
7.	श्री एस0 बी0 तिवारी	अपर निदेशक, उद्योग, मेरठ परिक्षेत्र, मेरठ	सदस्य
8.	श्री ज्ञान सिंह	अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, मेरठ	सदस्य
9.	श्री उमेश मित्तल	अधीक्षण अभियन्ता, आवास एवं विकास परिषद, मेरठ	सदस्य
10.	श्री राम अधार राम	उप महाप्रबन्धक, विद्युत नगरीय	सदस्य
11.	श्री कृपाल सिंह	अधीक्षण अभियन्ता, जल निगम	सदस्य
12.	श्री शशि शेखर सिंह	उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ	उपाध्यक्ष
13.	श्री शैलेन्द्र चौधरी	सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ	संयोजक

मद संख्या–1

प्राधिकरण की 78 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 7–9–2007 के कार्यवृत्त की पुष्टि

प्राधिकरण की 78वीं बोर्ड बैठक दिनॉक 7–9–2007 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

प्राधिकरण की 76 वीं बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या–

मद सं0 4 के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि शताब्दीनगर, गंगानगर एवं रक्षापुरम योजनाओं के लिये सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के निर्माण हेतु जल निगम 25 जनवरी 2008 तक डिजाईन तैयार करेगा तथा 25 फरवरी 2008 तक निविदा आमंत्रित की जायेगी तथा 1 मार्च, 2008 में कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा। 30 मई 2008 तक कार्य समाप्त हो जाना चाहिए।

बोर्ड द्वारा इस कार्य के पर्यवेक्षण हेतु निम्नवत समिति गठित की गयी है:–

1–नगर आयुक्त, नगर निगम–अध्यक्ष

2–सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण–सदस्य

3–नगर मजिस्ट्रेट, मेरठ–सदस्य

4–अधीक्षण अभियन्ता, जलनिगम–सदस्य

बोर्ड द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि उक्त कलेण्डर के अनुसार कार्यवाही पूर्ण न होने पर अधीक्षण अभियन्ता, जलनिगम का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा। भूमि तथा वित्तीय संसाधन प्राधिकरण जल निगम को उपलब्ध करायेगा।

मद सं0 10 पर प्राधिकरण द्वारा बी0आई0एफ0आर0 के पत्र को संज्ञान में लेते हुये प्रस्तुत प्रस्ताव को प्राधिकरण बोर्ड द्वारा विचारोपरान्त निरस्त किया गया।

अनुपूरक प्रस्ताव 76 बोर्ड बैठक

मद संख्या– 3

निर्देश दिये गये कि दिनांक 17–12–2007 को मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक में जो निर्णय लिये गये थे, उनका अनुपालन प्रत्येक दशा में आगामी आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 7–1–2008 को होने जा रही प्रस्तावित बैठक से पूर्व हो जाना चाहिए। इस कार्यवाही को पूर्ण करने के लिये उपाध्यक्ष, मे0वि0प्रा0 एवं नगर आयुक्त, नगर निगम प्रतिदिन समन्वय स्थापित करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगे।

प्राधिकरण की 77वीं बार्ड बैठक की अनुपालन आख्या–

मद सं0 7 के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि मेरठ विकास प्राधिकरण मेरठ–दिल्ली व मेरठ–हापुड़ मार्ग के जोड़ने हेतु 85 मीटर चौड़ाई में भूमि अर्जित करेगा जिसमें 45 मीटर रोड़ महायोजना मार्ग का निर्माण किया जायेगा तथा दोनों साईड में 20–20 मीटर व्यवसायिक भूमि का विकास किया जायेगा। अर्जन कार्यवाही हेतु निम्न निर्णय लिया गया:–

1–अर्जन कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित की गयी जिसमें अपर जिलाधिकारी (भूमिअध्यप्ति) तथा उपाध्यक्ष, मे0वि0प्रा0 सदस्य होंगे। यह समिति यथाशीघ्र संस्तुति प्रस्तुत करेगी।

2–अर्जित भूमि पर निर्माण जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजनाओं के तहत प्रोजेक्ट मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा बनाकर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

3–प्रस्तावित अर्जित भूमि पर सड़क निर्माण का आगणन मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा एक सप्ताह में बनाकर प्रस्तुत किया जायेगा।

4–सड़क के दोनों ओर अर्जित व्यवसायिक सम्पत्ति का निस्तारण नियमानुसार कराकर इस प्रोजेक्ट में व्यय की जाने वाली धनराशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

बोर्ड द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि अपर जिलाधिकारी (भूमि अध्यप्ति) से पूर्व में प्रेषित धनराशि वापस मंगा ली जाये।

मद सं0 8 के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि प्राधिकरण द्वारा शताब्दीनगर, लोहियानगर, वेदव्यासपुरी योजनाओं में अर्जित भूमि के प्रतिकर के भुगतान का प्रस्ताव प्रेषित किया गया था, उसकी शासकीय स्वीकृति हेतु दो हफ्ते के अन्दर नोट तैयार कर सक्षम स्तर पर प्रस्तुत कर दिया जाये। इस सम्बन्ध में शासन के प्रतिनिधि श्री बाबूराम, अनुसचिव को निर्देश दिये गये। यह भी निर्देशित किया गया कि प्राधिकरण अपने किसी अधिकारी को लखनऊ भेजकर उक्त कार्यवाही सम्पन्न कराने हेतु प्रभावी पैरवी करायें।

प्राधिकरण की 78वीं बार्ड बैठक की अनुपालन आख्या–

मद संख्या 4 के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि प्राधिकरण के अवशेष अलोकप्रिय भवनों जिनकी बिक्री ''प्रथम आओ प्रथम पाओ'' के अन्तर्गत नहीं हो पायी है,उसे बल्क में निर्गत शासनादेशानुसार निविदा सह–नीलामी के आधार पर उनकी कास्टिंग कराकर निस्तारण हेतु प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में रखा जाये।

मद सं0 9 के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा पूर्व पारित प्रस्ताव कि प्राधिकरण द्वारा एर्पोच मार्ग के अर्जन का निर्णय निरस्त करते हुए निर्णय लिया गया कि कालोनाईजर स्वंय एप्रोच मार्ग उपलब्ध करायेगा।

प्राधिकरण की 79वीं बार्ड बैठक–

मद संख्या:–5

औद्योगिक इकाइयों से लिये जाने वाले बाहय विकास शुल्क के निर्धारण के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा बैठक में उपस्थित शासन के प्रतिनिधि को अवगत कराया गया कि मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण सम्बन्धी गाईड लाईन्स पर सुझाव शासन को प्रेषित किये जा चुके है। शासनादेश निर्गत होने तक विकास प्राधिकरण द्वारा औद्योगिक मानचित्रों में निहित आच्छादित क्षेत्रफल पर रूपये 286/– प्रति वर्ग मीटर की दर से वाहय विकास शुल्क लिया जाय।

मद संख्याः–6

मेरठ महायोजना–2021 को दो चरणों (2004–2011) तथा 2012–2021) लागू किये जाने की व्यवस्था को समाप्त करने के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

मद संख्याः–7

मवाना, हस्तिनापुर, सरधना के क्षेत्रों को मेरठ विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के अन्तर्गत सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

मद संख्याः–8

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की वर्दी धुलाई भत्ता बढ़ाने विषयक प्रस्ताव।

उक्त प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में शासनादेश सं0 2293एल/18–7–93–251जी–11/93 दिनांक 27 नवम्बर, 1993 को 14 वर्ष से अधिक हो गया है तथा इस शासनादेश में निर्धारित 12 रूपये धुलाई भत्ता औचित्यपूर्ण नही है। अतः शासन को उक्त शासनादेश संशोधित किये जाने हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाये। बोर्ड ने शासन के प्रतिनिधि को 2 सप्ताह में शासनादेश जारी कराने हेतु निर्देश भी दिये। शासनादेश निर्गत होने तक पूर्व निर्धारित दर देय होगी।

मद संख्याः–9

जोनल प्लान तैयार किये जाने हेतु नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को अभिकरण घोषित किये जाने के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

मद सख्या:—10

मेरठ विकास प्राधिकरण की शताब्दी नगर, वेदव्यासपुरी व राममनोहर लोहियानगर योजनाओं के लिये अर्जित भूमि जो ग्राम की पुरानी आबादी से मिले है और उन पर भू–स्वामियों के मकानात बने होने के कारण भौतिक कब्जा लिया जाना सम्भव नही है, के समायोजन के सम्बंध में प्रस्ताव।

बोर्ड द्वारा यह निर्देश दिये गये कि पूर्व में कंचनपुर घोपला के मामले में जो प्रक्रिया अपनायी गयी थी, उसी प्रक्रिया के अनुसार ही प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाये तथा बोर्ड में शासन से आये प्रतिनिधि से यह अपेक्षा की गयी कि पूर्व में कंचनपुर घोपला का जो प्रस्ताव पत्रांक भू–अर्जन/वेदराम–2203 दिनांक 25.6. 2003 द्वारा शासन को प्रेषित किया गया था, उस पर शासन शीघ्र निर्णय लेकर प्राधिकरण को अवगत करायें, जिससे शीघ्र अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

मद संख्या:—11

मेरठ विकास प्राधिकरण की शताब्दीनगर योजना में 422.51 एकड़ आवासीय बल्क भूमि के विक्रय किये जाने हेतु प्रस्ताव।

बोर्ड द्वारा सम्यक विचारोपरान्त बल्क सेल के माध्यम से भूमि निस्तारण करने के निर्देश दिये गये। इस हेतु संगत शासनादेश का अनुपालन एवं शासन को भी सूचित किया जाना आदेशित किया गया।

मद संख्या:—12

मेरठ विकास प्राधिकरण की शताब्दीनगर आवासीय योजना में स्थित 11 एकड़ भूमि आवास/फ्लैटस बनाने के लिए एयर फोर्स नेवल हाऊसिंग बोर्ड, रेस कोर्स, नई दिल्ली के पक्ष में आवंटन हेतु प्रस्ताव।

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया तथा निर्देश दिये गये कि प्राधिकरण की योजनाओं के अन्तर्गत बल्क भूखण्डों की आरक्षित दरों की गणना करते समय 3 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल वाले भूखण्डों पर लोकेशन चार्ज न लिये जाये।

मद संख्याः—13

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा विशेष अनुमति से अनुमन्य उपयोगों की श्रेणी के अन्तर्गत प्राप्त मानचित्रों की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

बोर्ड द्वारा मेरठ विकास प्राधिकरण के आय—व्यय तथा निर्माण एवं विकास की प्रगति को अवलोकित करते हुये निम्न निर्देश दिये गयेः—

1—प्राधिकरण की योजनाओं की जिन अर्जित भूमि पर अतिक्रमण है, प्रशासन के सहयोग से अतिक्रमण मुक्त कराया जाये। यदि अतिक्रमणकर्ता प्राधिकरण की शर्तो के अनुसार भूमि लेना चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। बोर्ड की बैठक के अन्त में यह भी निर्देश दिये गये कि प्राधिकरण की सम्पत्तियों की नीलामी समय—समय पर की जाती है, उसे स्वीकृत/अस्वीकृत करने का निर्णय तत्काल समिति द्वारा लिया जाये, उपाध्यक्ष स्वंय भी उपस्थित रहेगें।

2—प्राधिकरण द्वारा अब तक अर्जित/व्यय की गयी धनराशि की विशेष आडिट कराने का बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया।

अध्यक्ष महोदय एवं अन्य माननीय सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक का समापन किया गया।

(शैलेन्द्र चौधरी)
सचिव,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

(शशि शेखर सिंह)
उपाध्यक्ष,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

27.12.07.

(देवेन्द्र चौधरी)
अध्यक्ष,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।